कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 21/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व थाना बहरियाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.2024 को हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आलाकत्ल के साथ 05 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत स्वाट/सर्विलांस व थाना बहरियाबाद, पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 15.07.2024 को थाना बहरियाबाद क्षेत्रांतर्गत ग्राम बघाई में प्रधान प्रतिनिधि अनिल कुमार यादव पुत्र श्यामकेर यादव की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 05 नफर अभियुक्त को आज दिनांक 20.07.2024 को स्वाट/सर्विलांस व थाना बहरियाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा समय करीब 04.29 बजे राजापुर मरकिया से निकली सड़क सरेआम संय्यद बाबा मजार थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अदद बांस का डंण्डा व 01 अदद बांस का डण्डा जिस पर लोहे की चैन लपेटी हुई, बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

पूछताछ करने पर प्रियांशु यादव ने बताया कि अनिल यादव मेरे पट्टीदारी के है तथा उन्होने कुछ समय पहले मुझे सरेआम बिना किसी बात के कई थप्पड़ मारा था जिससे मैं अपने आप को काफी लज्जित महसूस कर रहा था,उसी का बदला लेने के लिए दिनांक 15.07.2024 को हम लोगो ने मौका देखकर उनके साथ मारपीट किया था, लेकिन उनको ज्यादा चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।आशीष राजभर से पूछने पर बताया कि सोनू के कहने पर मैंने प्रधान को मारने के लिए कई दिनों से तैयारी किया था इस लिए एक लकड़ी के छोटे डंण्डे में साईकिल की चैन लपेटा था जबकि सोनू यादव बांस का डण्डा लिया था। जिसकी व्यवस्था प्रियांशु ने ही किया था तथा बाकी लोग हाथ पैर से मारे थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. सोनू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम झोटना थाना भुड़कुडा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।
2. प्रियांशु यादव पुत्र राजेज यादव निवासी ग्राम बघाई थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष।
3. आशीष राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी ग्राम बरईपार थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष।

4.हरिओम उर्फ ओम राजभर पुत्र रामसकल राजभर निवासी ग्राम कैथौली थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 18 वर्ष ।

5.शिवकुमार यादव उर्फ शिवा पुत्र गोपाल सिंह यादव निवासी ग्राम रामपुर बलभद्र थाना भुड़कुडा जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद बांस का डण्डा जिस पर लोहे की चैन लगी हुई है।

2.01 अदद बांस का डण्डा।

02. **थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा 04 नफर वारण्टीगण को गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चेकिंग अभियान व वाँछित/ वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में मुझ उ0नि0 प्रताप नरायण यादव व उ0नि0 ओप्रकाश यादव चौकी प्रभारी भितरी मय हमराहीयान के दबिश तलाश वाँछित वारण्टी/अभियुक्त के क्रम में 04 नफर वारंटीगण 1. संकठा कुशवाहा पुत्र सरजु कुशवाहा उम्र करीब 60 वर्ष 2. परभु कुशवाहा पुत्र हरखु कुशवाहा उम्र 80 वर्ष निवासीगण ग्राम हीरानन्दपुर सैदपुर गाजीपुर को घर पर समय करीब 05.15 बजे 3. सर्वेश राजभर पुत्र डैमल राजभर निवासी ग्राम विशुनपुर जुनारदार थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष 4. रेयाज पुत्र मैनु निवासी निवासीग्राम चाडी थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष को घर पर समय करीब 06.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वारण्टीगण का नाम व पताः-

1. संकठा कुशवाहा पुत्र सरजु कुशवाहा उम्र करीब 60 वर्ष
2. परभु कुशवाहा पुत्र हरखु उम्र करीब 80 वर्ष निवासीगण ग्राम हीरानन्दपुर थाना सैदपुर गाजीपुर
3. सर्वेश राजभर पुत्र डैमल राजभर निवासी ग्राम विशुनपुर जुनारदार थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष
4. रेयाज पुत्र मैनु निवासी निवासीग्राम चाडी थाना सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1. वारण्टी संकठा कुशवाहा व परभु कुशवाहा- मु0अ0स0-858/07 धारा-302/147/325/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एसएसटी एक्ट

2. वारण्टी सर्वेश राजभर- मु0अ0स0 181/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससीएसटी एक्ट

3. वारण्टी रेयाज – मु0अ0स0 205/2026 धारा-147/148/323/504/506/308 भा0द0वि0

गिरफ्तारी का विवरणः-

गिरफ्तारी का समय – 05.15 बजे व 06.00 बजे

गिरफ्तारी का तिथि- 20.07.2024

गिरफ्तारी का स्थानः- बहदग्राम हीरानन्दपुर, विशुनपुर जुनारदार व चाडी

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर